न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अवि गर्ग, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
495/2018	प्रा.पत्र 251-A RTA	29.10.2018	28.02.2020

प्रतापचन्द पुत्र उदाराम जाति ब्राह्मण आयु 52 वर्ष निवासी ढाणी लक्ष्मणसिंह तहसील व जिला चूरू (राज.)

—प्रार्थी—

बनाम

1. रूपाराम पुत्र जुहाराराम जाति जाट निवासी बाढकी तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, चूरू राज.

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह न्यौल प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री ऋषिराजसिंह शेखावत अप्रार्थी सं. 1

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 454/381 तादादी 2.3776 हैक्टेयर बारानी वाके रोही ग्राम लादड़िया तहसील व जिला चूरू (राज.) में स्थित है जिसका एकमात्र खातेदार काश्तकार है एवं अप्रार्थी खसरा नं. 363/261, 368/224 एवं 373/146 वाके रोही ग्राम बाढकी का खातेदार काश्तकार है। यह कि प्रार्थी ग्राम ढाणी लक्ष्मणसिंह का स्थायी निवासी है व उसका खातेदारी खेत वाके रोही लादड़िया तहसील चूरू में स्थित है तथा अप्रार्थी ग्राम बाढकी का स्थायी निवासी है जिसका खातेदारी खेत वाके रोही ग्राम बाढकी में स्थित है। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नं. 454/381 अप्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नं. 363/261 से आगे चिपती हुई है। प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन का मात्र एक रास्ता ढाणी लक्ष्मणसिंह से बाढकी जाने वाली सड़क से फंटकर अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 363/261 में से होकर आ रहा है उक्त रास्ते को अप्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वज पीढ़ियों से उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। यह कि कृषि भूमि खसरा नं. 363/261 में से प्रार्थी के भाई को जो खसरा नं. 455/381 वाके रोही लादड़िया जो प्रार्थी के खेत खसरा नं. 454/381 के आगे चिपते हुए हैं जिसको आवागमन करने के लिए दे रखा है लेकिन प्रार्थी को जाने के लिए जबरदस्ती रोकता रहता है तथा मनमुटाव भी रहता है। यह कि प्रार्थी के खेत में आवागमन का एकमात्र रास्ता अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 363/261 में से होकर सदाभव से पीढ़ियों से आ रहा है उक्त रास्ते का अप्रार्थी रोकने की फिराक में है व धमकियां दे रहा है। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु पीढ़ियों से खसरा नं. 363/261 में से होकर चालू रहे रास्ते को राजस्थान सरकार से कटवाये। मौके पर निर्धारित लम्बाई चौड़ाई अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 363/261 में से खसरा नं. 454/381 तक कायम करवाये। इस हेतु यह आवेदन पेश किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी चूरू

यह कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 363/261 में से होकर सदैव से पीढ़ियों से प्रार्थी के खेत में आवागमन के रहे रास्ते का बन्द करने की अप्रार्थी द्वारा दी जाने वाली धमकियां नहीं देने व चेष्टा न करने हेतु कई बार कहा व दूसरों से भी कहलवाया। पहले तो अप्रार्थी हूं–हां करते रहे मगर आखिर में दिनांक 10.10.2018 को स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये। प्रार्थी खसरा नं. 454/381 वाके रोही ग्राम लादड़िया के खातेदार काबिज काश्तकार होने से खसरा नं. 363/261 रोही मौजा काढकी में से होकर प्रार्थी के खेत का एकमात्र रास्ता होने से तथा उक्त रास्ता का प्रार्थी द्वारा पीढ़ियों से उपयोग उपभोग करने से इस आवेदन पत्र के प्रति प्रार्थी को कारण स्पष्ट है। यह कि विवादित कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड अप्रार्थी सं. 2 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, चूरू के पावर व पजेशन में है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार होने पर प्रार्थना पत्र में पारित आदेश की पालना में अप्रार्थी सं. 2 की मार्फत होना है इसलिए पक्षकार बनाया है। इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से अप्रार्थी सं. 2 से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं चाहा गया है इसलिए धारा 80 दीवानी प्रक्रिया संहिता का नोटिस दिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। यह कि प्रार्थी अप्रार्थी की खसरा नं. 363/261 की भूमि में से काटे जाने वाले निर्धारित चौड़ाई व लम्बाई के रास्ते में जाने वाली भूमि की कीमत डी.एल.सी. दर की दुगुनी कीमत अप्रार्थी को अदा करने को तैयार है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी की कृषि भूमियों में श्रीमान् जी को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। आवेदन पत्र उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है।

अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्जन है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 454/381 रोही ग्राम लादड़िया में सदामत से रास्ता ढाणी लक्ष्मणसिंह से बाढकी जाने वाली सड़क से फंटकर अप्रार्थी के खसरा नं. 363/261 में से आ रहा है को राजस्व रिकार्ड में दर्शाया जावे व मौके पर निर्धारित लम्बाई व चौड़ाई में अप्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नं. 363/261 में से होकर प्रार्थी के खसरा नं. 454/381 तक कायम किया जावे।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री सुरेन्द्र बुडानिया एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा। धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत तहसीलदार, चूरू से विस्तृत रास्ता प्रस्ताव मय मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। अप्रार्थी सं. 1 को जवाब हेतु काफी अवसर देते हुए आवश्यक, अन्तिम व स्वतः बन्द की शर्त के बाद न्यायहित में अवसर प्रदान किये गये। नियत तारीख पेशी पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री ऋषिराजसिंह शेखावत एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा एवं जवाब पेश करने हेतु समय चाहा जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से नये अधिवक्ता उपस्थित होने के मध्यनजर एक अवसर प्रदान किया गया। आगामी तारीख पेशी पर वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार, चूरू से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं. 1 को जवाब हेतु पुनः अन्तिम अवसर दिया गया। आगामी तारीख पेशी पर वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 141, 151 सीपीसी का पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जिसकी प्रति वकील अप्रार्थी को दी जाकर शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात् इस प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु वकील अप्रार्थी को काफी अवसर प्रदान किये जाकर दो बार कोस्ट पर भी अवसर दिये गये। प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी चूरू

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में आपत्ति करते हुए यह तथ्य अंकित किया गया कि प्रार्थी ने सदामत के रास्ते को कटानी घोषित करने की मांग की है जबकि धारा 251 ए के तहत वही आवेदन कर सकता है जिसके खेत में आवागमन का कोई विकल्प मौजूद नहीं हो तथा रास्ता केवल सुविधा के लिए नहीं हो। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होकर तहसीलदार, चूरू का है। प्रार्थी ने वैकल्पिक मार्ग वाले अन्य पड़ौसी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिए अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी के खेत में आवागमन का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। उक्त रास्ता सुविधा के लिए नहीं चाहा गया है। इस रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र केवल प्रकरण को देरीना करने की मंशा से पेश किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। पत्रावली के अवलोकन एवं बहस के तथ्यों पर मनन से यह परिलक्षित हुआ कि प्रस्तुत प्रकरण दावा नहीं होकर सम्मरी प्रोसीडिंग प्रकृति का प्रार्थना पत्र है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान केवल दावों पर लागू होते हैं। इसलिए उक्त प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 141, 151 सीपीसी का इस प्रकरण में पोषणीय नहीं होने से खारिज करने का आदेश दिया गया। पत्रावली मूल प्रार्थना पत्र के जवाब में नियत रही।

नियत तारीख पेशी पर प्रार्थी प्रतापचन्द, अप्रार्थी रूपाराम एवं प्रार्थी व अप्रार्थी के पड़ौसी खातेदार श्यामलाल पुत्र देबूराम स्वयं उपस्थित हुए एवं आपसी राजीनामा व सहमति पत्र पेश किये। पक्षकारान की पहचान उनके अधिवक्ताओं द्वारा की गई। तीनों पक्षकारों को राजीनामा व सहमति पत्र पढ़कर सुनाये गये। तीनों पक्षकारों ने राजीनामा व सहमति पत्रों में अंकित तथ्यों का सही होना स्वीकार करते हुए अपनी सहमति प्रदान की। जिस पर तीनों पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थी ने कथन किया कि सहमति पत्र के अनुसार अप्रार्थी व श्यामलाल के खेतों में से 10 फीट चौड़ाई वाला रास्ता प्रदान किया जावे। तीनों पक्षकारों ने उक्त सहमति पत्रों के अनुसार प्रकरण का निर्णय कर 10 फीट चौड़ा रास्ता कटानी अंकित करने एवं रास्ते में जाने वाली अप्रार्थी रूपाराम की कृषि भूमि के एवज में प्रार्थी व श्यामलाल की भूमि में से 1/2 – 1/2 भाग की भूमि अप्रार्थी के नाम अंकित करने का निवेदन किया।

पक्षकारान को सुना जाकर पत्रावली मय दस्तावेज, तहसीलदार, चूरू की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं पक्षकारान द्वारा पेश सहमति पत्रों को ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने खातेदारी खेत ख.नं. 454/381 रोही ग्राम लादड़िया में आवागमन हेतु अप्रार्थी सं. 1 रूपाराम के खातेदारी खेत ख.नं. 363/261 रोही ग्राम बाढकी में से ढाणी लक्ष्मणसिंह से बाढकी जाने वाली सड़क से अप्रार्थी सं. 1 के खेत की दक्षिणी सीमा के पास से रास्ते की मांग की है तथा इस प्रार्थना पत्र में उक्त रास्ता सदामत का होना अंकित करते हुए अप्रार्थी सं. 1 रूपाराम के साथ राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाया है। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है बल्कि अपना सहमति पत्र पेश कर अंकित किया है कि मुझ अप्रार्थी का खेत ख.नं. 363/261 रोही ग्राम बाढकी में स्थित है जिसके पश्चिम दिशा

उपखण्ड अधिकारी चूरू

में श्यामलाल व प्रतापचन्द का खेत है। मैं मेरे खेत के उत्तरी दिशा में उत्तरी सीमा के पास–पास रास्ता देने के लिए सहमत हूं व रास्ता के बदले उतनी ही बराबर–बराबर भूमि श्यामलाल व प्रतापचन्द से लेने के लिए सहमत हूं। मैं मेरे खेत के उत्तरी सीमा के पास आम सड़क से श्यामलाल के खेत तक रास्ता देने के सहमत हूं व सहमति देता हूं। प्रार्थी ने अपने सहमति पत्र में अंकित किया है कि मुझ प्रार्थी के खेत ख.नं. 454/381 रोही लादड़िया के लिए रास्ता श्यामलाल व रूपाराम के खेत से होकर लेने के लिए सहमत हूं। अप्रार्थी रूपाराम के खेत से होकर आने जाने के रास्ता में जाने वाली कृषि भूमि के बदले में भूमि देने के लिए सहमत हूं। उक्त भूमि का 1/2 हिस्सा श्यामलाल दे रहा है व 1/2 हिस्सा मैं प्रार्थी अपने खातेदारी खेत में से देने के लिए सहमत हूं। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के खेतों के पड़ौसी खातेदार श्यामलाल ने अपने सहमति पत्र में अंकित किया है कि मुझ प्रार्थी श्यामलाल का खेत खसरा नम्बर 210 रोही ग्राम लादड़िया में स्थित है। मेरे खेत के दक्षिणी दिशा में प्रतापचन्द का खेत है व अप्रार्थी रूपाराम का खेत मेरे खेत से पूर्व दिशा में स्थित है। मैं प्रतापचन्द को अपने खेत खसरा नम्बर 210 रोही लादड़िया तहसील चूरू में बिना किसी प्रतिफल के रास्ता देने के लिए तैयार हूं व अप्रार्थी रूपाराम के खेत में हिस्से में आने वाली रास्ता भूमि में आधी 1/2 हिस्सा की भूमि मैं प्रार्थी देने के लिए सहमति देता हूं व 1/2 हिस्सा प्रतापचन्द दे देगा। अतः उपरोक्तानुसार निर्णय कर रास्ता प्रतापचन्द को देते हैं तो मैं पूर्ण रूप से सहमति देता हूं। पत्रावली पर पेश जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम बाढकी के खाता सं. 70 ख.नं. 363/261, 368/224, 373/146 कुल तादादी 3.1110 हैक्टेयर में वर्तमान में रूपाराम पुत्र जुहाराराम जाति जाट निवासी बाढकी खातेदार अंकित है तथा सम्पूर्ण खाता बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चूरू के रहन दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम लादड़िया के खाता सं. 63 ख.नं. 454/381 तादादी 2. 3776 हैक्टेयर में प्रतापचन्द पुत्र उदाराम जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी लक्ष्मणसिंह खातेदार अंकित है तथा सम्पूर्ण खाता बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चूरू के रहन दर्ज है। प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा एनेक्जर ए में अप्रार्थी के खेत ख.नं. 363/261 रोही बाढकी की दक्षिणी सीमा के पास–पास पूर्व से पश्चिम प्रार्थी के खेत ख.नं. 454/381 रोही लादड़िया तक प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया गया है।

तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया जिसमें तहसीलदार, चूरू की ओर से भू–अभिलेख निरीक्षक सिरसला ने मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिए चार रास्ते प्रस्तावित किये हैं। मार्क ए बी सी से ढाणी लक्ष्मणसिंह से बाढकी जाने वाली सड़क से ग्राम बाढकी के ख.नं. 362/261 से रोही लादड़िया के ख.नं. 210 तक दूरी 27 मीटर व ख.नं. 210 से प्रार्थी के खेत तक रास्ते की दूरी 151 मीटर दर्शित की गई है। दूसरे प्रस्तावित रास्ते में मार्क डी से ई तक बाढकी के ख.नं. 363/261 से प्रार्थी के खेत ख. नं. 454/381 ग्राम लादड़िया तक दूरी 176 मीटर दर्शित की है। तीसरे प्रस्तावित रास्ते में मार्क एफ से जी तक ग्राम लादड़िया के ख.नं. 545/213 से प्रार्थी के खेत तक दूरी 196 मीटर दर्शित की गई है। इसी खसरा नम्बर में एक अन्य रास्ता मार्क एफ से एच प्रस्तावित किया है जिसकी दूरी 141 मीटर है परन्तु इस रास्ते से खातेदार का खेत दो भागों में विभक्त हो जाता है। प्रस्तावित रास्ता मार्क ए से बी ख.नं. 362/261 रोही बाढकी का खातेदार बीरबलराम पुत्र जुहाराराम है जिसमें से एक विश्वा भूमि रास्ते में जायेगी तथा मार्क बी से सी ख.नं. 210 रोही लादड़िया का खातेदार श्यामलाल पुत्र देबूराम है जिसमें से 6 विश्वा भूमि रास्ते में जायेगी।

उपखण्ड अधिकारी चूरू

प्रस्तावित रास्ता मार्क डी से ई में ख.नं. 363/261 रोही बाढकी का खातेदार रूपाराम पुत्र जुहाराराम निवासी बाढकी है जिसमें 7 विश्वा भूमि रास्ते में जायेगी। प्रस्तावित रास्ता मार्क एफ से जी में ख.नं. 545/213 रोही ग्राम लादड़िया का खातेदार बजरंगलाल पुत्र तनुराम जाति ब्राह्मण निवासी लादड़िया है जिसमें से 8 विश्वा व प्रस्तावित रास्ता मार्क एफ से एच में 6 विश्वा भूमि रास्ते में जायेगी। प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है। उक्त ख.नं. 454/381 में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता मार्क ए से सी में रास्ता बी से सी ख.नं. 210 रोही लादड़िया के खातेदार श्यामलाल पुत्र देबूराम ने बिना शर्त रास्ता देने का प्रार्थना पत्र मौके पर प्रस्तुत किया है। अतः ख.नं. 210 में रास्ता देने पर रास्ता मार्क ए से सी की दूरी कम होगी जो निकटतम होगा। रास्ते की चौड़ाई दो गट्ठा अर्थात् 16.5 फीट होगी। मौके पर श्यामलाल, प्रतापचन्द व बजरंगलाल की ओर से प्राप्त आवेदन पत्र मौका रिपोर्ट के संलग्न है। मौका रिपोर्ट पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार कर पेश की गई है। प्रार्थी प्रतापचन्द ने मौके पर इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया है कि बजरंगलाल के खेत में से मेरा कोई रास्ता नहीं रहा है तथा न ही मैं यहां से रास्ता लेना चाहता हूं। ख.नं. 210 के खातेदार श्यामलाल ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि मैं अपने खातेदारी खेत में से प्रतापचन्द को अपने खेत की सींव के साथ साथ रास्ता देने को तैयार हूं। रास्ता देने की एवज में मैं प्रतापचन्द से भूमि या रूपये नहीं लूंगा। यह रास्ता मैं अपनी सहमति से दे रहा हूं। ख.नं. 545/213 रोही लादड़िया के खातेदार बजरंगलाल पुत्र तनुराम ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि मेरे खेत में से प्रताप पुत्र उदाराम का आज तक कोई रास्ता नहीं है।

पत्रावली मय दस्तावेजात् एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा भिजवाई गई मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्तावों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी खेत तक पहुंचने के लिए चाहे गये रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी के खेत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन (मार्ग) का अभाव है तथा प्रार्थी द्वारा सुविधा के लिए रास्ता नहीं चाहा गया है क्योंकि प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। वादगत कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि हैं। प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है एवं वैकल्पिक साधनों का अभाव है। साथ ही प्रस्तावित रास्ता केवल आवश्यकता के लिए चाहा गया है न कि सुविधा के लिए। तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तावित रास्ता मार्क ए से बी सड़क से ख.नं. 362/261 रोही बाढकी व ख.नं. 210 रोही लादड़िया में से दर्शित रास्ता निकटतम व लघुतम है परन्तु यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि ख.नं. 362/261 के खातेदार बीरबलराम पुत्र जुहाराराम को इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा मौका रिपोर्ट तैयार करने के समय वह उपस्थित भी नहीं रहा है इसलिए उक्त प्रस्तावित रास्ते पर कोई विचार किया जाना सम्भव नहीं है। प्रार्थी प्रतापचन्द, अप्रार्थी रूपाराम एवं ख.नं. 210 रोही लादड़िया के खातेदार श्यामलाल पुत्र देबूराम जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी लक्ष्मणसिंह द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व सहमति पत्रों के अनुसार अप्रार्थी रूपाराम सड़क से अपने खातेदारी खेत ख.नं. 363/261 रोही बाढकी की उतरी सींव के पास से ख.नं. 210 तक रास्ता देने के लिए सहमत है तथा रास्ते में जाने वाली भूमि के एवज में उतनी ही भूमि की मांग की है जिस पर प्रार्थी प्रतापचन्द व श्यामलाल दोनों 1/2–1/2 भूमि देने हेतु सहमत हैं। ख.नं. 210 रोही लादड़िया के खातेदार श्यामलाल ने भी उक्तानुसार प्रार्थी को उसके खेत तक रास्ता देने व अप्रार्थी रूपाराम के खेत की रास्ते में जाने वाली कुल भूमि का 1/2 हिस्सा भूमि अप्रार्थी को देने में सहमति प्रदान की

है। श्यामलाल को उक्त भूमि के एवज में कोई प्रतिफल नहीं चाहिए। प्रार्थी प्रतापचन्द ने भी इस पर अपनी सहमति प्रदान की है। प्रार्थी रास्ते में जाने वाली अप्रार्थी रूपाराम की भूमि का 1/2 हिस्सा अप्रार्थी को देने में सहमत है। पक्षकारान ने 10 फीट की चौड़ाई वाले रास्ते पर सहमति दी है। हालांकि प्रस्तुत प्रकरण में ख.नं. 210 का खातेदार श्यामलाल पूर्व से पक्षकार नहीं रहा है परन्तु उसने मौका रिपोर्ट तैयार करते समय अपनी लिखित सहमति दी है तथा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपना सहमति पत्र पेश किया है। इसलिए लोक अदालत की भावना से तीनों पक्षकारान की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर.टी.ए. का स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

अतः पक्षकारान द्वारा पेश सहमति पत्रों के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 454/381 तादादी 2.3776 हैक्टेयर रोही ग्राम लादड़िया में आवागमन हेतु ढाणी लक्ष्मणसिंह से बाढकी जाने वाली सड़क से अप्रार्थी सं. 1 रूपाराम के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 363/261 तादादी 1.3911 हैक्टेयर रोही ग्राम बाढकी की उत्तरी सीमा के पास से श्यामलाल पुत्र देबूराम जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी लक्ष्मणसिंह के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 210 तादादी 3.4146 हैक्टेयर रोही लादड़िया तक एवं ख.नं. 210 की पूर्वी सींव के पास से प्रार्थी के खेत ख.नं. 454/381 तक 10 फीट चौड़ा रास्ता गै0मु0 कटानी रास्ता राजस्व अभिलेख में कायम करने का आदेश दिया जाता है। उक्त कटानी रास्ता कायम करने से पूर्व अप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी खेत ख.नं. 363/261 में से रास्ते में जाने वाली कृषि भूमि के कुल रकबे की गणना की जाकर उक्त रास्ता भूमि का 1/2 भाग प्रार्थी प्रतापचन्द के खातेदारी खेत ख.नं. 454/381 रोही लादड़िया में से एवं 1/2 भाग श्यामलाल पुत्र देबूराम जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी लक्ष्मणसिंह के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 210 तादादी 3.4146 हैक्टेयर रोही लादड़िया में से कम की जाकर अप्रार्थी सं. 1 रूपाराम पुत्र जुहाराराम जाति जाट निवासी बाढकी के खेत ख.नं. 363/261 की पश्चिमी सींव के चिपते हुए अप्रार्थी के नाम खातेदारी में अंकित की जाकर उक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे। तहसीलदार, चूरू चूरू को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त कृषि भूमियां रहनमुक्त होने के बाद राजस्व अभिलेख व नक्शा में अमल दरामद करें।

आदेश आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू